



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082020-221123
CG-DL-E-13082020-221123

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2437]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942

No. 2437]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SRAVANA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020

का.आ. 2743(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में NH444A के कि.मी. 14.84 से कि.मी.32.6 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए अफसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में NH444A के कि.मी. 14.84 से कि.मी.32.6 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: हरियाणा		जिले का नाम: कुरुक्षेत्र			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: शाहबाद					
गांव का नाम: जैनपुर					
1	555/2	निजी	एग्रीकल्चर	22.0150000(वर्ग मीटर)	0.0022015
2	556/2	निजी	एग्रीकल्चर	55.0590000(वर्ग मीटर)	0.0055059
गांव का नाम: लण्डी					
1	59//13	निजी	एग्रीकल्चर	126.0920000(वर्ग मीटर)	0.0126092
2	59//14	निजी	एग्रीकल्चर	64.0480000(वर्ग मीटर)	0.0064048
3	59//18	निजी	एग्रीकल्चर	40.2850000(वर्ग मीटर)	0.0040285
4	59//7	निजी	एग्रीकल्चर	101.2040000(वर्ग मीटर)	0.0101204
गांव का नाम: शाहाबाद मारकण्डा					
1	15//16/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0065000(हेक्टेयर)	0.0065000
2	15//24	निजी	एग्रीकल्चर	0.0396000(हेक्टेयर)	0.0396000
3	15//25	निजी	एग्रीकल्चर	0.0122000(हेक्टेयर)	0.0122000
4	24//11/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0010860(हेक्टेयर)	0.0010860
5	24//11/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0147600(हेक्टेयर)	0.0147600
6	24//12	निजी	एग्रीकल्चर	0.1170000(हेक्टेयर)	0.1170000
7	24//13	निजी	एग्रीकल्चर	0.0538000(हेक्टेयर)	0.0538000

8	24//19/1/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0017000(हेक्टेयर)	0.0017000
9	24//20/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0041000(हेक्टेयर)	0.0041000
10	24//3/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
11	24//3/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0935000(हेक्टेयर)	0.0935000
12	24//4	निजी	एग्रीकल्चर	0.0798000(हेक्टेयर)	0.0798000
13	24//5	निजी	एग्रीकल्चर	0.0539000(हेक्टेयर)	0.0539000
14	24//7	निजी	एग्रीकल्चर	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
15	24//8	निजी	एग्रीकल्चर	0.1245000(हेक्टेयर)	0.1245000
16	24//9	निजी	एग्रीकल्चर	0.0944000(हेक्टेयर)	0.0944000
17	7//25/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0016300(हेक्टेयर)	0.0016300
18	7//25/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0032580(हेक्टेयर)	0.0032580
19	8//21	निजी	एग्रीकल्चर	0.0074500(हेक्टेयर)	0.0074500
कुल				409.5201	0.8580

[फा. सं. 24003/NHAI/Amb/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th August, 2020

S.O. 2743(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH444A in the stretch of land from Km 14.84 to Km32.6 in the district of KURUKSHETRA in the state of HARYANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Revenue Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH444A in the stretch of land from Km. 14.84 to 32.6 in the district of KURUKSHETRA in the state of HARYANA

State: HARYANA		District: KURUKSHETRA			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Shahbad					
Village: Jainpur					
1	555/2	Private	agriculture	22.0150000(Square Meter)	0.0022015
2	556/2	Private	agriculture	55.0590000(Square Meter)	0.0055059
Village: Landi					
1	59//13	Private	agriculture	126.0920000(Square Meter)	0.0126092
2	59//14	Private	agriculture	64.0480000(Square Meter)	0.0064048
3	59//18	Private	agriculture	40.2850000(Square Meter)	0.0040285
4	59//7	Private	agriculture	101.2040000(Square Meter)	0.0101204
Village: Shahabad Markanda					
1	15//16/2	Private	Agriculture	0.0065000(Hectare)	0.0065000
2	15//24	Private	Agriculture	0.0396000(Hectare)	0.0396000
3	15//25	Private	Agriculture	0.0122000(Hectare)	0.0122000
4	24//11/1	Private	Agriculture	0.0010860(Hectare)	0.0010860
5	24//11/2	Private	Agriculture	0.0147600(Hectare)	0.0147600
6	24//12	Private	Agriculture	0.1170000(Hectare)	0.1170000
7	24//13	Private	Agriculture	0.0538000(Hectare)	0.0538000
8	24//19/1/1	Private	Agriculture	0.0017000(Hectare)	0.0017000
9	24//20/1	Private	Agriculture	0.0041000(Hectare)	0.0041000
10	24//3/1	Private	Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
11	24//3/2	Private	Agriculture	0.0935000(Hectare)	0.0935000
12	24//4	Private	Agriculture	0.0798000(Hectare)	0.0798000
13	24//5	Private	Agriculture	0.0539000(Hectare)	0.0539000
14	24//7	Private	Agriculture	0.0700000(Hectare)	0.0700000
15	24//8	Private	Agriculture	0.1245000(Hectare)	0.1245000
16	24//9	Private	Agriculture	0.0944000(Hectare)	0.0944000
17	7//25/2	Private	Agriculture	0.0016300(Hectare)	0.0016300
18	7//25/3	Private	Agriculture	0.0032580(Hectare)	0.0032580
19	8//21	Private	Agriculture	0.0074500(Hectare)	0.0074500
Total				409.5201	0.8580

[F. No. 24003/NHAI/Amb/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.